न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 105/2021

आरसीएमएस नं. 2021/105

रामकिशन पुत्र स्व0 चेतराम जाति जाट साकिन ग्राम पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. कान्ता देवी पत्नी रामसिंह जाति जाट साकिन गांव पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गुरदेव सिंह पुत्र नन्द सिंह
3. करनैल सिंह पुत्र नन्द सिंह
4. सरजीत सिंह पुत्र नन्द सिंह
5. गुरनेक सिह पुत्र नन्द सिंह

   जाति जाट साकिन गांवट पटवा तहसील तहसील भादरा हाल आबाद चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. तारो पुत्री नन्द सिह जाति जाट सिख निवासी पटवा तहसील भादरा हाल आबाद मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जगतार कौर पुत्री नन्द सिंह जाति जटसिख हाल आबाद 12/3 पुरानी आबाद वार्ड नं. 16 श्रीगांगनगर।
8. कुरकीत सिंह पुत्र प्रीतपाल कौर पत्नी छिवेन्द्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी कुण्डल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
9. गुरसिमरत कौर पुत्री प्रीतपाल कौर पत्नी छिवेन्द्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी कुण्डल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
10. गुरमण्टसिंह पुत्र सीतो पत्नी जरनैत सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. बलवन्तसिह पुत्र सीतो पत्नी जरनैल सिह जाति जटसिख निवीस 26 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12. महेन्द्र सिह पुत्र सीतो पत्नी जरनैल सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।
14. बुधराम पुत्र स्व0 चेतराम जाति जाट निवासी ग्राम पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
15. मैनपाल पुत्र स्व0 चेतराम जाति जाट निवासी ग्राम पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
16. सुमन पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016
द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा, प्र. सं. 3/2016 (2016/00008)
अनवान कान्ता देवी बनाम गुरूदेव सिह आदि

(2) अपील संख्या 104/2021

आरसीएमएस नं. 2021/104

रामकिशन पुत्र स्व0 चेतराम जाति जाट साकिन ग्राम पटवारा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. कान्ता देवी पत्नी रामसिंह जाति जाट साकिन गांव पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गुरदेव सिंह पुत्र नन्द सिंह
3. करनैल सिंह पुत्र नन्द सिंह
4. सरजीत सिंह पुत्र नन्द सिंह
5. गुरनेक सिंह पुत्र नन्द सिंह

जाति जाट साकिन गांव पटवा तहसील तहसील भादरा हाल आबाद चक 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. तारो पुत्री नन्द सिह जाति जाट सिख निवासी पटवा तहसील भादरा हाल आबाद मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जगतार कौर पुत्री नन्द सिंह जाति जटसिख हाल आबाद 12/3 पुरानी आबाद वार्ड नं. 16 श्रीगांगनगर।
8. कुरकीत सिंह पुत्र प्रीतपाल कौर पत्नी छिवेन्द्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी कुण्डल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
9. गुरसिमरत कौर पुत्री प्रीतपाल कौर पत्नी छिवेन्द्र पाल सिंह जाति जटसिख निवासी कुण्डल तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर।
10. गुरमण्टसिंह पुत्र सीतो पत्नी जरनैल सिह जाति जटसिख निवीस 26 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. बलवन्तसिह पुत्र सीतो पत्नी जरनैल सिह जाति जटसिख निवीस 26 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. महेन्द्र सिह पुत्र सीतो पत्नी जरनैल सिह जाति जटसिख निवासी 26 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।
14. बुधराम पुत्र स्व0 चेतराम जाति जाट निवासी ग्राम पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
15. मैनपाल पुत्र स्व0 चेतराम जाति जाट निवासी ग्राम पटवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
16. सुमन पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016
द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा, प्र. सं. 3/2016 (2016/00008)
टनवान कान्ता देवी बनाम गुरू देव सिह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजपाल झोरड़ , अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0

निर्णय दिनांक 29.08.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन का एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि तहसील भादरा के रौही मौजा चक 15 जे जी डब्ल्यू के खाता संख्या 11/12 के मु0 नं0 45 के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 की कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज है। जिसमें वादिया 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 संयुक्त रूप से 6/16 हिस्सा के बराबर के खातेदार खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 9 से 11 संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं। वादीया उपर वर्णित भूमि दिनांक 16.09.1998 को खरीद की थी। वादीया को उपर वर्णित भूमि में प्रतिवादी की सहमति से मु0 नं0 45 के किला नं. 11, 12, 13 प्रत्येक की 10–10 बिस्वा भूमि एवं किला नं. 18 से 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0 भूमि कुल 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मौके पर कब्जा संभला दिया था, जिसकी अलग से सींव डोल कायम कर काश्त करती चली आ ही है। वादीया ने उपरोक्त भूमि दिगर प्रतिवादीगण से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं दिनांक 21.06.2016 को अंतिम डिक्री पारित की दोनों निर्णयों की अपीलाण्ट ने दो अलग अलग अपीले पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 14 व 15 की खरीद की हुई है, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कियें

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 13, 15 दावा दायरी के रोज रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 9 की जगह खातेदार काश्तकार थे एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के साथ सह खातेदार काश्तकार वर्तमान में भी है इसलिए वे दावा प्रकरण में आवश्यक थे। विधिक प्रक्रिया अपने बिना भूमि की वास्तविक स्थिति छिपाने की नियत से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की जाति भी राजपूत गलत अंकित कतरे हुए कतई एकपक्षीय कार्यवाही करवा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पेडेण्ट ने मिथ्या कथन करते हुए भूमि अपने कब्जे में होना दर्शाई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 9 ने जब भूमि विक्रय कर कब्जा ही अपीलाण्ट व रेस्पेडेण्ट सं0 14 , 15 को सौंप दिया था एवं दावा के रोज अपीलाण्ट व रेस्पोउेण्ट संख्या 14, 15 का कब्जा था तो रेस्पोडेण्ट को वाद कारण कहां से उत्पन्न हो गया। वाद में अंकित कथन कतई मिथ्या हैं। प्रश्नगत भूमि आज भी सांझा चली आ रही है व भूमि के दक्षिणी तरफ सड़क है एवं काश्तकार उत्तर से दक्षिण लम्बी भूमि काश्त करते हे। ताकि भूमि पर आवागमन सभी का सड़क से हो सके परन्तु वादीया/रेस्पोडेण्ट 0 1 ने अत्यधिक कीमत की सड़के पास लगती भूमि को गलत रूप से कब्जा दर्शाया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 भी प्रश्नगत भूमि के खरीददार है एवं अपीलांट ने भी प्रश्नगत भूमि खरीद की है। खरीद के समय खाता मुश्तर्का ही था एवं कभी भी प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार खाता विभाजन नहीं हुआ था। विचारण न्यायालय ने खाता विभाजन हेतु राजस्थान कातश्कारी राजसव मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायलाय ने दिनांक 14.03.2016 को सम्मन तलवाना प्रस्तुत करने की वादी को हिदायत दी है एवं अगली ही पेशी पर बिना कोई आदेश 5 नियम 17 ता 20 की पालना किये ही नोटिस अखबार में साया का आदेश दिया गया एवं दिनांक 18.05.2016 को आगामी पेशी जवाब हेतु मुकर्रर की एवं उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है इसलिए धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ यह अपील पेश की है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को पूर्व में दिनांक 27.06.2021 से पूर्व प्रश्नगत भमि के दक्षिणी तरफ स्थिति सड़क से कृषि भूमि में आकर काश्त करने से कभी मना नहीं किया परन्तु दिनांक 27.06.2021 को आवागमन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हेतु इन्कार किया तो एतराज करने पर रेस्पो0 सं0 1 ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का जिक्र कर किया जिस पर अपीलण्ट ने पत्रावली तलाश करवाकर नकलें प्राप्त कर यह अपील पेश की है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (2) पेज 761, 2021 आरआरटी पेज 413, 2009 आरबीजे पेज 829, 2017 आरआरडी पेज 191, 2019 आरआरटी पेज 1547 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रौही मौजा चक 15 जे जी डब्ल्यू के खाता संख्या 11/12 के मु0 नं0 45 के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 की कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज है। जिसमें वादिया 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 संयुक्त रूप से 6/16 हिस्सा के बराबर के खातेदार खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 9 से 11 संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा के बहिस्सा बरबार के खातेदार हैं। वादीया उपर वर्णित भूमि दिनांक 16.09.1998 को खरीद की थी। वादीया को उपर वर्णित भूमि में प्रतिवादी की सहमति से मु0 नं0 45 के किला नं. 11, 12, 13 प्रत्येक की 10–10 बिस्वा भूमि एवं किला नं. 18 से 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0 भूमि कुल 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मौके पर कब्जा संभला दिया था, जिसकी अलग से सींव डोल कायम कर काश्त करती चली आ ही है। वादीया ने उपरोक्त भूमि दिगर प्रतिवादीगण से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने की अधिकारी है। अपीलाट ने दिनांक 19.07.2012, 26.07.2012, 18.10.2012 को प्रश्नगत भूमि को खरीद करना बताया है परन्तु वाद दायरी के समय अपीलाट व रेस्पोउेण्ट का वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई नाम दर्ज नहीं था न ही उनका वाद भूमि पर कब्जा काश्त थी। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 12 का नाम दर्ज था व 1/2 हिस्सा की भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 12 के कब्जा काश्त में थी इसलिए इन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है। अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है इसलिए वह बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 16.09.1998 को में जरिये बैयनामा प्रश्नगत भूमि खरीद की थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खरीद की दिनांक से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा भूमि खरीदने के बाद रेस्पो0 सं0 1 कान्ता देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल सं0 211/03.10.1998 के द्वारा दर्ज कर दिया गया है। अपलाण्ट द्वारा बताये गये बैयनामें दिनांक 19.07.2012, 26.07.2012, व 18.10.2012 के द्वारा भूमि खरीद करनी बताई है। परन्तु वाद दायरी की दिनांक 11.01.2016 को अपीलाण्ट का नाम ही राजस्व रिकार्ड में नहीं था। निण्रय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 का अंकन राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल सं0 503 दिनांक 30.06.2016 को कर दिया गया। उक्त इन्तकाल के समय भी वाग्रस्त भूमि रेस्पेडेण्ट संख्या 2 ता 12 के नाम दर्ज थी। प्रार्थीया के हिस्से की भूमि राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला, भादरा के रहन है। अपीलाण्ट एक अजनबी क्रेता है। अपीलाण्ट मिथ्या तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को हमेशा से ही ज्ञान रहा है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नोटेरी द्वारा प्रमाणित होने एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं इन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।

7. अपीलाट ने दिनांक 19.07.2012, 26.07.2012, 18.10.2012 को प्रश्नगत भूमि को खरीद करना बताया है परन्तु वाद दायरी के समय अपीलाट व रेस्पोडेण्ट का वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई नाम दर्ज नहीं था न ही उनका वाद भूमि पर कब्जा काश्त थी। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 12 का नाम दर्ज था व 1/2 हिस्सा की भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 12 के कब्जा काश्त में थी इसलिए इन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 16.09.1998 को में जरिये बैयनामा प्रश्नगत भूमि खरीद की थी। खरीद की दिनांक से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा भूमि खरीदने के बाद रेस्पो0 सं0 1 कान्ता देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल सं0 211/03.10.1998 के द्वारा दर्ज कर दिया गया है। अपलाण्ट द्वारा बताये गये बैयनामें दिनांक 19.07.2012, 26.07.2012, व 18.10.2012 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा भूमि खरीद करनी बताई है। परन्तु वाद दायरी की दिनांक 11.01.2016 को अपीलाण्ट का नाम ही राजस्व रिकार्ड में नहीं था। निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 का अंकन राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल सं0 503 दिनांक 30.06.2016 को कर दिया गया। उक्त इन्तकाल के समय भी वाग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 12 के नाम दर्ज थी। प्रार्थीया के हिस्से की भूमि राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला, भादरा के रहन है। अपीलाण्ट एक अजनबी क्रेता है। अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है इसलिए वह बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रर्थना–पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़